उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1/समकक्ष पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों के समान रू0 7500–12000, पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (वेतनमान रू0 9300–34800) ग्रेड वेतन रू0 4800, अनुमन्य कराये जाने पर विचार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1/समकक्ष पद के वेतनमान रू0 6500–10500 को केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों से समकक्षता के आधार पर संशोधित कर वेतनमान रू0 7500–12000, (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में विचार कर संस्तुति दिये जाने का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा अर्धशासकीय पत्र संख्या–यू0ओ0–वे0आ0–2–726/दस–2009, दिनांक 30 जुलाई, 2009 के माध्यम से किया गया है।

2– उपर्युक्त संदर्भित प्रकरण के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रकरण से संबंधित अन्य अभिलेखों का समिति द्वारा अध्ययन किया गया तथा वित्त विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से विचार–विमर्श किया गया।

3– समिति को अवगत कराया गया कि –

(1) केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

पदनाम	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान	सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष	6500–10500	7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
		8000–13500 (चार वर्ष पूरे करने पर)	वेतन बैण्ड–3	5400

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी (374 पद) की समकक्षता वर्ष 1986 से ही केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी पद से निर्धारित है और इस आधार पर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान वेतनमान अनुमन्य रहा हैं। तदनुसार

दिनांक 01 जनवरी, 1996 से अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 6500–10500 अनुमन्य हुआ।

(3) उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के समान 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर रू0 8000–13500 का नॉन–फंक्शनल वेतनमान दिनांक 28 मार्च, 2006 से अनुमन्य कराया गया।

(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव श्रेणी–1 के पदों पर अनुभाग अधिकारी से समकक्षता रू0 6500–10500 का वेतनमान अनुमन्य है। साथ ही निजी सचिव श्रेणी–1 को उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान ही 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर दिनांक 28 मार्च, 2006 से रू0 8000–13500 का नॉन–फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य कराया गया।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के लेखा संवर्ग का पुर्नगठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधिष्ठान) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1771(II)/20–ई–1–2008–618/96 टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2008 के माध्यम से किया गया। इसके तहत अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पदों को उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समकक्ष रखते हुए तदनुसार रू0 6500–10500 का वेतनमान एवं 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर रू0 8000–13500 का नॉन–फंक्शनल वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी कि उक्तानुसार संशोधित वेतनमान संबंधित सेवा नियमावली में उक्त व्यवस्था का समावेश किये जाने के पश्चात ही देय तिथि से अनुमन्य होगा।

4– समिति ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विचारोपरान्त यह पाया कि–

(1) उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी पद की समकक्षता केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी पद से स्थापित है। इस आधार पर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के समान समय–समय पर निर्धारित वेतनमान अनुमन्य कराये जा रहे हैं। केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी पद पर 04 वर्ष की सेवा के आधार पर रू0 8000–13500 का नॉन–फंक्शनल वेतनमान पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी बनाये रखने का निर्णय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है।

(2) उ0 प्र0 सचिवालय के निजी सचिव श्रेणी–1 के पदों पर उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों से सापेक्षता के आधार पर वेतनमान तथा नॉन–फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य है।

(3) अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर भी उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान वेतनमान एवं नॉन–फंक्शनल वेतनमान संबंधित सेवा–नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने के पश्चात ही देय तिथि 30 जुलाई, 2008 से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(4) उपरोक्त के दृष्टिगत उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 के पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों के समान रू0 6500–10500 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है। साथ ही उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 को केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों के समान 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर अनुमन्य कराये गये नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 की व्यवस्था को बनाये रखते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 (रू0 15600–39100) व ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है। साथ ही उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान वेतनमान एवं नॉन–फंक्शनल वेतनमान संबंधित सेवानियमावली में प्रस्तावित संशोधन के उपरान्त देय तिथि 30 जुलाई, 2008 से अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है।

(5) प्रकरण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधन से संबंधित है। अतः उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 के पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों के समान रू0 6500–10500 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4200) के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाना चाहिए। साथ ही उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 हेतु दिनांक 28 मार्च, 2006 से प्रभावी नॉन–फंक्शनल वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखते हुए नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 के लिए पुनरीक्षित वेतन

संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है।

(6) अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के समान वेतनमान रू0 6500–10500 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4200) के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800) दिनांक 30 जुलाई, 2008 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है। साथ ही अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर दिनांक 30 जुलाई, 2008 से प्रभावी नॉन–फंक्शनल वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखते हुए नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य है।

समिति की संस्तुति–

5– उपरोक्त परिदृश्य में समिति की संस्तुतियॉ निम्नानुसार हैं:––

(1) उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 के पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष पदों के समान रू0 6500–10500 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4200) के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(2) उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 हेतु दिनांक 28 मार्च, 2006 से प्रभावी नॉन–फंक्शनल वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखते हुए नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराया जाय।

(3) अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पदों पर वेतनमान रू0 6500–10500 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन

बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4200) के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4800) दिनांक 30 जुलाई, 2008 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय। साथ ही अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर दिनांक 30 जुलाई, 2008 से प्रभावी नॉन–फंक्शनल वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखते हुए नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराया जाय।